

अंतिम डिक्री वा मुकदमे इब्तनाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D" _1)

अदालत उपखंड अधिकारी, मुकाम चूरु

इजलास: श्री बिजेन्द्रसिंह आर.ए.एस

मोहम्मद तालिब पुत्र गफूर जाति नाई मुसलमान निवासी चूरु तहसील वा जिला चूरु

-वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरु
2. असलम अली पुत्र लियाकत अली जाति मुसलमान काजी निवासी वार्ड नं 18 झूझनू तहसील वा जिला झूझनू
3. नसिर खान पुत्र अलीखान जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं 35 झूझनू तहसील वा जिला झूझनू
4. दाउद अली पुत्र मौहम्मद हुसैन जाति व्यापारी निवासी वार्ड नं 44 चूरु
5. अस्तअली खान पुत्र भादर खान जाति कायमखानी निवासी पिथीसर तहसील वा जिला चूरु

-प्रतिवादीगण



दावा अन्तर्गत धारा 53 आरटी.एक्ट
मुकदमा नं 106 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रुबरु हमारे हाजरी श्री ऋषिराजसिंह एडवोकेट वादी मिनजानिव मुदईब पैरोकार राज पेश होकर हुम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 172 तादादी 5.7667 हेक्टेयर रोही खारिया तहसील चूरु का विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजित किया जाकर निम्नानुसार अलग खाते वा लगान कायम करने का आदेश दिया जाता है :-

| क्र. सं. | नाम खातेदार मय विवरण | ख. न. | रकबा हेक्टर में | लगान |
|----------|---|---|--|------------------|
| 1 | मोहम्मद तालिब पुत्र गफूर जाति नाई (मुसलमान) निवासी चूरु तहसील वा जिला चूरु | 172 मिन 172 मिन 172 मिन किता 3 | 1.4636 है० 0.3909 है० 0.6092 है० 2.4637 है० | - - - - |

44/
उपखण्ड अधिकारी
चूरु



| | | | | |
|---|--|---------|------------|---|
| 2 | अस्ताअली खान पुत्र भादर खान 7335/30352 हि० जाति कायमखानी निवासी पिथीसर तहसील वा जिला चूरु, असलम अली पुत्र लियाकत अली 10117/30352 जाति मुसलमान काजी निवासी झूझू तहसील वा जिला झूझू, दाउद अली पुत्र मौहम्मद हुसैन 1265/30352 जाति व्यापारी निवासी चूरु, नासिर खान पुत्र अलीखान 1518/30352 जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं 35 झूझू तहसील वा जिला झूझू, सिवायचक हिस्सा 10117/30352 हि० खातेदार | 172 मिन | 3.0352 हे० | - |
| 3 | प्रस्तावित रास्ता | 172 मिन | 0.2678 हे० | - |

तहसीलदार, चूरु को निर्देशित किया जाता है कि यह जांच करें कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हो, बाद जांच एवं निर्णय व डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में वादी के खाते व लगान पृथक् पृथक् कायम करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 17 माह जूलाई सन 2025 को जारी की गई।

41
(विजेन्द्रसिंह) RAS
उपपंच अधिकारी
चूरु